प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–5511/प्र0फी0नि0स0/2024
लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2024
कार्यालय आदेश

AGRA PUBLIC COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, AGRA (कोड–697) आपके डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थान में नवीन संचालित पाठ्यक्रम बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 के शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा लिये गए निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र 2024–25 (एक वर्ष) हेतु निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया गया है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क (रूपये में) वर्ष 2024–25 (एक वर्ष हेतु)
01	बी0बी0ए0	51,500
02	बी0सी0ए0	51,500

2. उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

3. निर्धारित फीस की सूचना समिति की अधिकृत **वेबसाईट www.afrcup2018.in** पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस **आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित फीस की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।**

4. विनियमावली–2015 के बिन्दु–10 में प्राविधानानुसार **"किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।"**

5. समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस ली गयी है या **अधिनियम–2006 या विनियमावली–2015 या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानक** से निम्न स्तर की शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है, तो **समिति विनियमावली–2015 के बिन्दु–11 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।**

डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
3. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

SANTOSH KUMAR SINGH

Digitally signed by SANTOSH KUMAR SINGH
Date: 2024.11.06 13:05:52 +05'30'